प्रेस नोट-20
दिनांक- 22.11.2024
सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके हत्या के प्रयास के अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा 04 वर्ष साधारण कारावास एवं 6000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 256/2016 धारा 308/323/325/34 भादवि थाना संग्रामपुर के अभियुक्तगण 1-रामू पुत्र रामबली 2- गुजराती पत्नी रामबली 3- रेनू पुत्री रामबली 4-रुबी पुत्री रामबली निवासीगण अम्बरपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-04 सुलतानपुर द्वारा अभि0गण को आज दिनांक 22.11.2024 को, धारा 308 भादवि मे चार-चार वर्ष का साधारण कारावास,4000 रु0 अर्थदण्ड, धारा-325/34 भादवि में चार-चार वर्ष का साधारण कारावास 2,000 रु0 के अर्थदण्ड,एंव धारा-323 भादवि में 01 वर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक को 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग वादिनी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 17.03.2016 समय 22.30 बजे अभियुक्तगण 1-रामू पुत्र रामबली 2- गुजराती पत्नी रामबली 3- रेनू पुत्री रामबली 4- रुबी पुत्री रामबली निवासीगण अम्बरपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी द्वारा मारने पीटने,लाठी डण्डा कुल्हाडी से जान से मार डालने की नीयत से मारना पीटना जिससे प्रार्थिनी के पुत्र का मौके पर बेहोश हो जाना व गाली देने की तहरीर सूचना पर मु0अ0सं0 256/2016 धारा 308/323/325/34 भादवि थाना संग्रामपुर पर पंजीकृत होकर विवेचक श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए-53 दिनांक 08.04.2016 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।